

*(Handwritten signature)*

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कर्तृजात रिपोर्ट व नक्शा देस निर्णय का पुन रवेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को

किला 1 कुल रकबा 0.1667 है0 भूमि रहेगी।

मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 9042/5281/2 रकबा 0.1667 है0

2. विमा शर्मा पत्नी बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बावन जी का मोहल्ला, 9042/5281/1 रकबा 0.1112 है0 किला 1 कुल रकबा 0.1112 है0 भूमि रहेगी।

हि0 1/2 जाति पुरोहित निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर

1. महेंद्र पुत्र चौथमल हि0 1/2 जाति पुरोहित निवासी मनोहरपुर, विनोद पुत्र चौथमल

मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार कारतदार घोषित किया जाता है -

है0, बाकै ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) के खातेदारान के

हिकी किया जाता एवं खाता संख्या 1039 खसरा नंबर 9042/5281 रकबा 0.2779

उपर्युक्त विवेचना के फलस्वरूप बादीया का वाद कर्तृजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम

निर्णय दिनांक 29.09.2025

दावा बाबत बंटवारा एवं ख्याई निषेधाज्ञा द्वारा अन्तर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

- प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।

तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

समस्त वयस्कान, जाति पुरोहित ब्राह्मण, निवासी मोहल्ला बावन जी का, मनोहरपुर,

2. विनोद पुत्र चौथमल पारीक

1. महेंद्र पुत्र चौथमल पारीक



बनाम

-बादी

1. श्रीमती विमा शर्मा पत्नि बनवारीलाल शर्मा, उम्र 67 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी बावन

शीर्षक

वाद संख्या

शाहपुरा (जिला-जयपुर) जे.क.  
सहायक कलेक्टर

*(Handwritten signature)*

वादी	प्रतिवादी
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाद पत्र के लिए स्टाम्प</li> <li>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</li> <li>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प</li> <li>4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस</li> <li>5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय</li> <li>6. कानिश्नर की फीस</li> <li>7. आदेशिका की तामिल</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</li> <li>2. अर्जी के लिए स्टाम्प</li> <li>3. प्लीडर की फीस</li> <li>4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</li> <li>5. आदेशिका की तामिल</li> <li>6. कानिश्नर की फीस</li> </ol>
रुपया	रुपया

वाद के खर्चे



शाहपुरा (जिला-जयपुर) जे.क.  
सहायक कलेक्टर  
 (सजीव कुमार खन्ना R.A.S.)  
 सहायक कलेक्टर (जस्टिफिकेशन डिवीजन)

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं स्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।  
 लिखा जावे। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निर्धारणा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी तरह मजहमत एवं दखलान्दगी पैदा नहीं करें। पत्रावली फौजल शुमार होकर नंबर से कम हो।